NSDL
Technology, Trust & Reach

The Financial Kaleidoscope

Defining the different shapes of investment

February 2020

UNION BUDGET 2020-21

From The Editor's Desk

"सूर्य की भांति एक राजा पानी की छोटी बूंदों से वाष्प एकत्र करता है। वे दोनों ही खुले हाथों से वापस करते हैं। दोनों का उद्देश्य लोगों की भलाई के लिए एकत्रित करना होता है।"

महाकवि कालिदास के महाकाव्य रघुवंश के इस वाक्य को वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 2020-21 बजट पेश करते समय कहा था।

यह दो प्रमुख आर्थिक पहलुओं - धन निर्माण और कराधान के सार को दर्शाता है। ये विषय आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 का भी एक प्रमुख अंश हैं, जो 2025 तक भारत को $ 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था

बनाने के लिए एक रूपरेखा प्रस्तुत करता है।

भारत की जीडीपी वृद्धि दर पिछली कुछ तिमाहियों में धीमी हो गई है। उसे बेहतर करने के लिए आरबीआई और सरकार ने कई सुधारात्मक उपाय किये हैं। इसमें एक अनुकूल मौद्रिक नीति और एनबीएफसी के माध्यम से अतिरिक्त फंड्स का भुगतान शामिल है, ताकि सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होने से अर्थव्यवस्था तेजी से पटरी पर आ सके। अपने बजट में वित्त मंत्री ने प्रत्यक्ष कराधान से संबंधित परिवर्तनों और पहलों की एक शुरुआत करके इन प्रयासों को जारी रखा है। नई आयकर व्यवस्था से खर्च करने योग्य आय में वृद्धि होगी वहीँ दूसरी ओर, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स (लाभांश वितरण कर) के हटने से अधिक लोग शेयर मार्केट में निवेश के लिए प्रेरित होंगे।

द फाइनेंशियल कैलिडोस्कोप के इस अंक में हम विशेष रूप से खुदरा निवेशकों के लिए धन निर्माण अथवा वेल्थ क्रिएशन पर बात करेंगे। इसमें आयकर, बचत और निवेश

से संबंधित पहलुओं पर चर्चा होगी। हम आशा करते हैं यह जानकारी वित्त वर्ष 2020-21 के लिए योजना बनाने में आपको उपयोगी होगी।

यह बताते हुए हमें अत्यंत खुशी हो रही है कि इस समाचार पत्र के पिछले अंक पर हमें अनेक पाठकों की उत्साहजनक प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं। टीम एनएसडीएल सभी पाठकों को इसके लिए धन्यवाद करती है। हम पूरा प्रयास करेंगे कि अगला हर अंक बेहतर हो। हम अपने सभी पाठकों को 'नॉलेज विंस कांटेस्ट' में भाग लेने के लिए और समाचार पत्र के अंदर दिए गए लिंक पर अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव देने के लिए आमंत्रित करते हैं।

समाचार पत्र का हिंदी संस्करण पढ़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें - https://nsdl.co.in/publications/nest.php

अंत में, हम सभी पाठकों से अनुरोध करते हैं कि कोरोना वायरस के चल रहे संकट में वो स्वयं की और प्रियजनों की देखभाल करें। कृपया व्यक्तिगत स्वच्छता और सरकारी अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। आपके डीमैट अकाउंट से जुड़ी कई चीजें हैं जो आप अपने घर से कर सकते हैं - अपने डीपी के ऑफिस जाए बिना। उदाहरण के लिए, आप एनएसडीएल मोबाइल ऐप या आइडियाज के माध्यम से अपना नवीनतम खाता विवरण प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी अन्य अनेक उपयोगी एनएसडीएल सेवाओं के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप इस समाचार पत्र के जनवरी 2018 के अंक को नीचे दी गयी लिंक पर पढ़ सकते हैं

https://nsdl.co.in/downloadables/The%20Financial%20Kaleidoscope%20-%20January%202018.pdf

आभार, टीम एनएसडीएल

प्रत्यक्ष कर (आयकर)

नयी कर व्यवस्था

बजट ने एक नई वैकल्पिक कर व्यवस्था का प्रस्ताव दिया है, जिसे व्यक्ति और हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) वित्त वर्ष 2020-21 से शुरू कर सकते हैं। प्रस्तावित नई संरचना में कुछ मौज़ूदा कटौतियों और छूट को हटा दिया गया है। इसके स्थान पर जो करदाता नई व्यवस्था को चुनेंगे, उनके लिए कर की कम दर लागू की जायेगी।

जिन व्यक्तियों की व्यावसायिक आय नहीं हैं, वे हर साल कर व्यवस्था का चयन कर सकते हैं। जिन व्यक्तियों की व्यावसायिक आय हैं, वे भी नई कर व्यवस्था का चयन कर सकते हैं। पर उनके लिए यह एक बार का विकल्प है और इसे बाद में नहीं बदला जा सकता (जब तक कि करदाता व्यावसायिक आय प्राप्त करना बंद नहीं कर देता)।

नए वैकल्पिक आयकर व्यवस्था के तहत आय और प्रस्तावित दरें

आय (₹)	दर
2,50,000 तक	-
2,50,001 से 5,00,000 तक	5%
5,00,001 से 7,50,000 तक	10%
7,50,001 से 10,00,000 तक	15%
10,00,001 से 12,50,000 तक	20%
12,50,001 से 15,00,000 तक	25%
15,00,001 या अधिक	30%

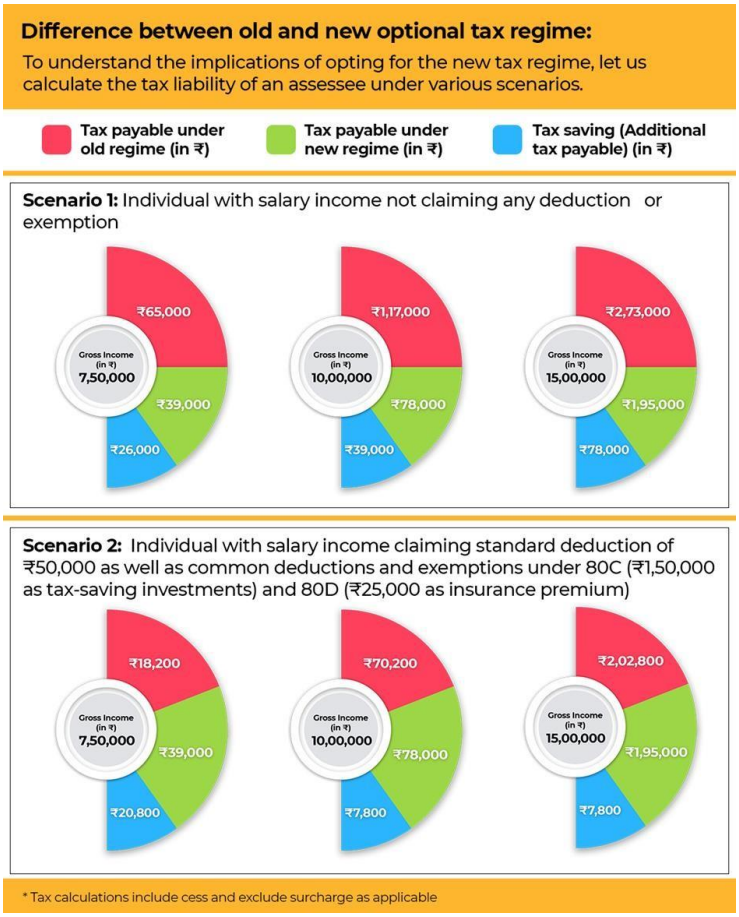

निवास स्थान के अनुसार कर निर्धारण

बजट में व्यक्तियों और एचयूएफ के निवास स्थान के अनुसार कर निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित परिवर्तनों का प्रस्ताव दिया गया है:

• किसी भारतीय नागरिक को वित्तीय वर्ष के दौरान 'निवासी' करदाता माना जाएगा यदि वह किसी अन्य देश में कर का भुगतान नहीं करता। ऐसे भारतीय नागरिक के लिए जो इस प्रस्तावित प्रावधान के तहत भारत के निवासी समझे जाते हैं, उनके द्वारा भारत के बाहर अर्जित की गई आय को भारत में तब तक कर नहीं लगाया जाएगा, जब तक कि वह किसी भारतीय व्यवसाय या पेशे से उत्पन्न न हो।

• भारत में निवासी को साधारण निवासी करदाता नहीं माना जाएगा यदि वह 10 में से 7 पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों में भारत में गैर-निवासी रहा है (वर्तमान में, एक व्यक्ति या एचयूएफ को असाधारण निवासी तब माना जाता है जब वह 10 में से 9 पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों में गैर निवासी रहा है)।

• एक भारतीय नागरिक या भारतीय मूल के एक व्यक्ति (पीआईओ) को निवासी तब माना जाएगा, यदि वह दिए गए वित्तीय वर्ष में 120 से अधिक दिनों के लिए भारत में रहा हो। (वर्तमान में, एक व्यक्ति को असाधारण निवासी तब माना जाता है अगर वह भारत में एक वर्ष में 182 दिन से कम समय व्यतीत करे)।

भविष्य निधि, राष्ट्रीय पेंशन योजना और सुपर-एनुएशन फंड में नियोक्ता (मालिक) का योगदान

वर्तमान प्रावधानों के तहत निम्नलिखित योजनाओं में नियोक्ता का नियत सीमा से अधिक का योगदान कर्मचारी के लिए कर-योग्य वेतन माना जाता है:

• प्रॉविडेंट फंड (भविष्य निधि): वेतन के 12% से अधिक का योगदान
• सुपर-एनुएशन फंड में ₹ 1,50,000 से अधिक का योगदान
• राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस): वेतन के 14% से अधिक का योगदान (केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए) और वेतन का 10% से अधिक का योगदान (अन्य के लिए)।

बजट प्रस्ताव के अनुसार व्यक्तिगत सीमाओं को हटा कर ₹ 7,50,000 की कुल राशि से बदल दिया गया है। परिणामस्वरूप, नियोक्ता का ₹7,50,000 से अधिक योगदान कर योग्य होगा। इसके अतिरिक्त वार्षिक अभिवृद्धि (ब्याज, लाभांश या अन्य आय) जो कर-योग्य कर्मचारी के योगदान से होगी, उस पर भी कर लागू होगा।

किफायती आवास पर लिए गए ऋण पर ब्याज की कटौती

'हाउसिंग फॉर ऑल' (सबके लिए निवास) के लक्ष्य को पूरा करने के लिए, वित्त मंत्री ने पिछले बजट के दौरान किफायती घर खरीदने के लिए गए ऋण पर ब्याज के लिए अतिरिक्त कटौती की घोषणा की थी। प्रस्ताव के अनुसार, 31 मार्च, 2020 को या उससे पहले स्वीकृत आवास ऋणों पर ₹ 1,50,000 तक की कटौती का दावा कर सकते हैं।

इस योजना से अधिक नागरिकों को लाभान्वित करने के लिए, बजट में इस कटौती को 31 मार्च, 2021 तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है।

कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजनाओं (ईएसओपी) के आवंटन पर कर हटाना

आमतौर पर ईएसओपी वे शेयर हैं जो स्टार्ट-अप द्वारा जारी किए जाते हैं ताकि गुणवान कर्मचारी कंपनी में आएं

और लम्बे समय तक रहें। ईएसओपी कई कर्मचारियों के लिए मुआवजे का एक बड़ा हिस्सा होते हैं और वर्तमान में वे कर योग्य माने जाते हैं। जो कर्मचारी लंबे समय तक इन्हें रखते हैं, उन्हें अतिरिक्त कर भी देना पड़ता हैं जिससे उनकी आय प्रभावित होती हैं।

इस मुद्दे को हल करने के लिए इस बजट के प्रस्ताव अनुसार स्टार्ट-अप के ईएसओपी धारक कर्मचारियों को निम्नलिखित घटनाओं के होने के 14 दिनों के भीतर (जो भी सबसे जल्दी हो) लागू करों का भुगतान करना होगा:

- उस वित्तीय वर्ष के अंत से 5 वर्ष जिसमें इन विकल्पों का प्रयोग किया जाता है, या
- कर्मचारी द्वारा उनकी बिक्री की तारीख से, या
- कर्मचारी द्वारा अपनी नियुक्ति समाप्ति की तारीख से|

बचत, निवेश और वित्तीय योजना

बैंक में जमा राशि के बीमा रकम में वृद्धि

बैंकों में पैसे जमा करना बहुत सारे नागरिकों के लिए एक सुरक्षित निवेश है। मगर अभी हाल ही में कुछ बैंकों में वित्तीय संकट आए हैं। ऐसे मामलों में आरबीआई द्वारा लगाए गए नकद निकासी प्रतिबंध की वजह से जमाकर्ताओं को असुविधा हुई है और कुछ मामलों में लोगों की जीवन भर की जमापूंजी का नुकसान हुआ है। आरबीआई के निर्देशों अनुसार सभी वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों को निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) के माध्यम से ₹ 1,00,000 प्रति जमाकर्ता का बीमा तक करने की आवश्यकता थी।

बैंकिंग प्रणाली में जमाकर्ताओं के विश्वास को बढ़ाने के लिए, बजट ने इस बीमा राशि को बढ़ाकर ₹ 500,000 प्रति जमाकर्ता, कर दिया है (4 फरवरी, 2020 से प्रभावी)।

लाभांश वितरण कर (डीडीटी) का समापन

लाभांश वितरण कर क्या है?

कंपनियों के शेयरधारकों और म्यूचुअल फंड के निवेशकों को दिया गया लाभांश उनकी आय माना जाता हैं। वर्तमान में कंपनियों को 15% (लागू अधिभार और उपकर) की दर से डीडीटी का भुगतान करना पड़ता है जो कि कुल 20.56% की प्रभावी कर दर पर आता है। दूसरी ओर म्यूचुअल फंड वर्तमान में इक्विटी फंड्स पर 11.65% और डेब्ट फंड्स पर 29.12% की प्रभावी दर से डीडीटी लेते हैं।

क्या हैं प्रस्तावित बदलाव?

कर लागू होगा, जो उन्हें उनकी पूरी आय पर देना हैं।

यदि कोई व्यक्ति 30% कर कोष्ठक (ब्रैकेट) में आता है, तो वह लाभांश पर 30% की दर से कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

इसके अलावा, म्यूचुअल फंड कम्पनियां प्रति वर्ष ₹ 5,000 से अधिक के लाभांश भुगतान पर 10% टीडीएस काटेंगी। पूंजीगत लाभ में आय पर म्यूचुअल फंड कंपनियों द्वारा कोई कर नहीं काटा जाएगा।

निवेशकों पर डीडीटी के समापन का प्रभाव

डीडीटी के हटने से भारतीय इक्विटी बाजार के आकर्षण में वृद्धि होगी और निवेशकों के एक बड़े वर्ग को वित्तीय राहत मिलेगी।

पहले निवेशकों, विशेष रूप से छोटे निवेशकों के लिए जिनकी आय कम दर पर कर-योग्य थी, कर का बोझ अधिक था। डीडीटी को हटाने से लोगों की खर्च करने योग्य (डिस्पोजेबल) आय में वृद्धि होगी, जिसके परिणामस्वरूप इक्विटी बाजारों के साथ-साथ म्यूचुअल फंड में भी निवेश बढ़ सकता है।

इसलिए, यदि कोई व्यक्ति कम कर कोष्ठक (ब्रैकेट) में आता है, तो उसके लिए नयी कर पद्धति को अपनाना समझदारी हैं। हालांकि, यदि कोई व्यक्ति आयकर की शीर्ष दर का भुगतान करता है, तो उसे इक्विटी म्यूचुअल फंड (विकास विकल्प) में निवेश करना बेहतर विकल्प हो सकता है।

निवेशकों पर नई कर व्यवस्था का प्रभाव

मौज़ूदा कर व्यवस्था कर-बचत साधनों में किए गए निवेश के लिए कई कटौतियां और छूट प्रदान करती है। इसके अलावा मौज़ूदा कर व्यवस्था में निवेशकों को राशि निकालने के लिए लॉक-इन अवधि के समाप्त होने तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता होती है। यह खुदरा निवेशकों को अपने लाभ को अधिकतम करने की क्षमता को प्रतिबंधित करता है।

नई कर व्यवस्था, जो अब कटौती और छूट प्रदान नहीं करती है, वास्तव में लोगों को विशिष्ट योजनाओं में निवेश कर कर बचाने के बजाये, बाजार में निवेश कर लाभ कमाने के लिए प्रेरित करती है।
यह निवेशकों के लिए लक्ष्य-उन्मुख ऐसे उपकरणों में निवेश करने के लिए कई रास्ते खोलता है, जो लंबे समय के लिए

फायदेमंद हैं और जिन्हें वे अपने जोखिम और वित्तीय लक्ष्यों के हिसाब से चुन सकते हैं।

आयकर विभाग

करदाताओं का चार्टर

करदाताओं और प्रशासन के बीच विश्वास को मजबूत करने के लिए, वित्त मंत्री ने करदाताओं के चार्टर को अपनाने का प्रस्ताव दिया है। इसका उद्देश्य मौजूदा
प्रणाली की दक्षता को बढ़ाने के साथ इसे अधिक नागरिक-अनुकूल बनाना है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा प्रकाशित यह चार्टर रूप से करदाताओं के अधिकारों को स्पष्ट करने के साथ उनके उत्पीड़न को कम करने के लिए दिशानिर्देश देता है।

विवाद से विश्वास योजना

वर्तमान में प्रत्यक्ष करों से संबंधित विवादों के लिए विभिन्न स्तरों पर 4,83,000 से अधिक मामले लंबित हैं। मुकदमों को कम करने के उद्देश्य से बजट में यह 'विवाद से विश्वास 'योजना प्रस्तावित की गई है।

• प्रस्तावित योजना के तहत करदाताओं को 31 मार्च, 2020 तक केवल विवादित राशि का भुगतान करना होगा जिस पर ब्याज और जुर्माने की पूरी छूट मिलेगी।

• विवादित जुर्माना, ब्याज और शुल्क विवादित कर के साथ जुड़ा नहीं होने पर, करदाता को विवाद निपटाने के लिए केवल 25% राशि का भुगतान करना होगा।

• 31 मार्च, 2020 के बाद भुगतान करने पर, करदाता को विवादित कर की 110% राशि का भुगतान करना होगा (अतिरिक्त 10% संबंधित दंड और ब्याज की राशि तक सीमित होगा)। 30% जुर्माना, ब्याज और शुल्क 31 मार्च, 2020 के बाद लागू होगा।

• यह योजना 30 जून, 2020 तक लागू रहेगी।

पात्रता:

• 31 जनवरी, 2020 को या इससे पहले दायर लंबित अपील/रिट।

• अपील दायर करने का समय 31 जनवरी, 2020 तक समाप्त नहीं हुआ है।

• विवाद समाधान पैनल के समक्ष 31 जनवरी, 2020 तक लंबित मामले।

• वर्ष में 5 करोड़ से कम की विवादित कर राशि के सर्च मामले।

• ऐसे विवाद जहां करदाता द्वारा पहले ही भुगतान किया जा चुका है, वे भी योजना के तहत होंगे।

• टैक्स की राशि, जुर्माना, ब्याज, शुल्क, स्रोत पर काटे गए कर (टीडीएस) या स्रोत पर एकत्र कर (टीसीएस) से संबंधित विवाद भी इस योजना के अंतर्गत आते हैं।

Salient features of the 'Vivad se Vishwas' scheme

Payment Date	Disputed Tax	Disputed Penalty / Interest / Fee
• Before March 31, 2020	100% of the disputed tax amount or 125% in search cases	25% of disputed penalty or interest or fee
• Between April 1, 2020 and June 30, 2020	110% of the disputed tax amount or 135% in search cases	30% of disputed penalty or interest or fee

If a taxpayer's pending appeal is decided in his or her favour by the appellate forum, or if the IT department has filed an appeal on the issue, they will be required to pay only 50% of the amounts mentioned above

* टिप्पणी - 24 मार्च, 2020 को वित्त मंत्री ने योजना की सीमा को 30 जून 2020 तक बढ़ा दिया है।

फेसलेस अपील

प्रत्यक्ष कर व्यवस्था को बदलने और सरकार के 'अधिकतम शासन और न्यूनतम सरकार' के वादे को पूरा करने के उद्देश्य से, बजट में करदाताओं के विवादों के मामलों के लिए एक फेसलेस अपील प्रक्रिया शुरू करने का प्रस्ताव किया है।

आयकर विभाग द्वारा कर निर्धारण प्रक्रिया में अधिक दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के उद्देश्य से और मानव इंटरफ़ेस को कम करने के लिए फेसलेस अपील का प्रावधान किया गया है। रिटर्न दाखिल करने, रिटर्न का आंकलन और रिफंड जारी करने जैसे कार्यों के डिजिटलीकरण और स्वचालन के अलावा, करदाताओं के पास फेसलेस और इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कर विवादों का प्रबंधन करने का विकल्प होगा।

आधार के जरिए पैन का आबंटन

पिछले बजट में घोषित पैन और आधार कार्ड की विनिमेयता की शुरुआत के बाद, वित्त मंत्री ने पैन के आबंटन की प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए नए उपाय पेश किए हैं। इसके अनुसार, सरकार एक प्रणाली शुरू करेगी जिसके तहत आधारकार्ड के आधार पर, पैन को तुरंत ऑनलाइन आबंटित किया जाएगा।

बजट की कुछ बातें

• परंपरागत रूप से बजट को फरवरी के अंतिम कार्य दिवस में संसद में वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता था। पहली फरवरी को पेश करने की प्रथा 2017 में तत्कालीन वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली द्वारा शुरू की गई थी।

• हममें से ज्यादातर लोग सुबह 11:00 बजे से शुरू होने वाले बजट भाषण को देखने के आदी हैं। हालाँकि, 2000 तक यह शाम 5:00 बजे तक किया जाता था। एक सिद्धांत के अनुसार, यह समय हमारे ऊपर ब्रिटिश शासन का अवशेष था और जो ब्रिटिश संसद के लिए दिन की शुरुआत से मेल खाने के लिए किया गया था। 2001 में श्री यशवंत सिन्हा सुबह 11:00 बजे बजट पेश करने वाले पहले वित्त मंत्री बने।

• वित्त मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद श्रीमती निर्मला सीतारमण का यह पहला पूर्ण बजट था। वह केंद्रीय बजट पेश करने वाली केवल दूसरी महिला हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1970 में यह पहली बार किया था जब वह प्रधानमंत्री थीं और साथ ही साथ उन्होंने वित्त विभाग भी संभाला था।

• स्वतंत्र भारत का पहला बजट श्री आर के षण्मुखम चेट्टी ने 26 नवंबर, 1947 को पेश किया था। यह 15 अगस्त 1947 से 31 मार्च, 1948 तक साढ़े सात महीने की अवधि के लिए था। इस अवधि के लिए लक्षित राजस्व का अनुमान ₹ 171.15 करोड़ लगाया गया था, जबकि राजकोषीय घाटा ₹ 24.59 करोड़ आंका गया था।

• श्री मोरारजी देसाई ने 10 बजट पेश करके एक रिकॉर्ड बनाया है। उनके बाद श्री पी चिदंबरम ने नौ, श्री प्रणव मुखर्जी ने आठ, श्री मनमोहन सिंह ने छह और श्री अरुण जेटली ने पांच बजट पेश किये हैं।

समाचार

सरकारी प्रतिभूतियों के इंटर डिपॉजिटरी ट्रांसफर

एनएसडीएल डिपॉजिटरी सिस्टम इंटर डिपॉजिटरी ट्रांसफर मॉड्यूल के माध्यम से डिपॉजिटरी के बीच सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार हस्तांतरण को संभव करेगा। संबंधित आरबीआई अधिसूचना के अनुसार समस्त प्रतिभागियों को सरकारी प्रतिभूतियों में इंटर डिपॉजिटरी ट्रांसफर निर्देश स्वीकार करने से पहले बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया और लेखा परीक्षा निरीक्षण के संबंध में निर्धारित मानदंडों का पालन करने की आवश्यकता है। सरकारी प्रतिभूतियों के आईडीटी की सुविधा प्रदान करने के लिए, प्रतिभागियों को सलाह दी जाती है कि वो निर्धारित प्रारूप में एनएसडीएल को सूचित करें।

संदर्भ: एनएसडीएल की वेबसाइट पर उपलब्ध परिपत्र संख्या NSDL / POLICY / 2020/0017, दिनांक 03 फरवरी, 2020।

भौतिक प्रतिभूतियों के डीमैटरियलाइजेशन के लिए इन्हांस्ड ड्यू डिलिजेंस का कार्यान्वयन

प्रतिभागियों से अनुरोध है कि वे इस बात पर ध्यान दें कि एनएसडीएल ने भौतिक प्रतिभूतियों के डीमैटरियलाइजेशन के संबंध में फ़ाइल स्वरूपों में बदलाव किए हैं।

संदर्भ: 24 फरवरी, 2020 की परिपत्र संख्या NSDL / POLICY / 2020/0021, एनएसडीएल की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

डिपॉजिटरी सिस्टम में गिरवी / पुनः गिरवी के माध्यम से दिए जाने वाले मार्जिन दायित्व

ग्राहकों की प्रतिभूतियों के दुरुपयोग के जोखिम को कम करने के लिए, सेबी ने निर्देश दिया है कि 01 जून, 2020 से, ट्रेडिंग सदस्य (टीएम) / क्लियरिंग सदस्य (सीएम) केवल डिपॉजिटरी प्रणाली में निर्मित 'मार्जिन गिरवी' के माध्यम से ही आनुषंगिक के रूप में प्रतिभूतियां
ग्राहकों से स्वीकार करेंगे। मार्जिन के लिए प्रतिभूतियों को टीएम / सीएम के डीमैट खाते में स्थानांतरित करना निषिद्ध होगा। यदि ग्राहक ने टीएम / सीएम के पक्ष में पावर ऑफ अटॉर्नी दी है, इसे टीएम / सीएम द्वारा मार्जिन संग्रह के समकक्ष नहीं माना जायेगा।

संदर्भ: एनएसडीएल वेबसाइट पर उपलब्ध परिपत्र संख्या NSDL / POLICY / 2020/0023 दिनांक 26 फरवरी, 2020।

प्रतिभागियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम:

प्रतिभागियों के लिए सीपीई प्रशिक्षण कार्यक्रम

एनआईएसएम द्वारा मान्यता प्राप्त सतत व्यावसायिक शिक्षा (सीपीई) प्रदाता के रुप में एनएसडीएल, पात्र संबद्ध व्यक्तियों के लिए विभिन्न मॉड्यूल में सीपीई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। फरवरी 2020 में एनएसडीएल ने अहमदाबाद, कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली और सूरत में इस तरह के छह प्रशिक्षण कार्यक्रम

आयोजित किए।

एनएसडीएल द्वारा की गई निवेशक शिक्षा पहल

निवेशकों को निवेश के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराने के लिए एनएसडीएल पूरे देश में निवेशक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है। एनएसडीएल ने अब तक ऐसे 4,000 से अधिक कार्यक्रमों का आयोजन किया है, जिसमें 3.86 लाख से अधिक निवेशकों ने भाग लिया।

इन कार्यक्रमों पर निवेशकों से हमें बेहद उत्साहजनक प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं। इन कार्यक्रमों की अनुसूची https://nsdl.co.in/Investor-Awareness-Programmes.php पर प्रकाशित की जाती है। हमें आपके संगठन / संस्थान / हाउसिंग सोसाइटी में ऐसे कार्यक्रम करने में प्रसन्नता होगी। इस हेतु info@nsdl.co.in पर हमें लिखकर निवेशक शिक्षा पहल को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें।

अधिक शिक्षा, अधिक विवेक।

Knowledge Wins Contest

How Much Is the Dividend Tax (DDT) On Pay-Outs In The Proposed Budget?

To send your replies: visit/click www.nsdl.co.in/knowledge-win-contest.php
or
Scan this QR code

25 Lucky Winners get FREE GIFTS

Previous Month's Winners

A V Nagarathna - Bengaluru
Aarti Chandiramani - Mumbai
Amit Singh - Kolkata
Anuj Shah - Ahmedabad
Arunachalam Srinivasan - Madurai
Ashok Deshpande - Bengaluru
Chandan Patwa - Mumbai
Chandrashekhar Patil - Nashik
Darshan Bid - Thane
Dharmik Shah - Mumbai
Dhruv Sethi - Delhi
Gopi Krishna - Bengaluru
Gothandaraj A - Kanyakumari
G Chandrashekarreddy - Rangareddy
Manik Budhiraja - Bengaluru
Murali Gopalakrishnan - Chennai
Murugesan Appasamy - Vridhachalam
Pradeep Bahal - Lucknow
Premchand Agrawal - Aurangabad
Rajeswara Rao Ammisetty - Hyderabad
Ramanpal Singh Sapal - Delhi
Rohit Katariya - Delhi
Sai Ganesh Althi - Visakhapatnam
Selwin Thomas - Coimbatore
Sourabh Navlakha - Ahmedbadad

Head Office

Mumbai : 4th Floor, 'A' Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400013 Tel.: (022) 24994200

Branch Offices

Ahmedabad Bengaluru Chennai Hyderabad Kochi Kolkata New Delhi Lucknow Jaipur

For any grievance related to Demat account, you can email us at relations@nsdl.co.in
For any other information related to Demat account, you can email us at info@nsdl.co.in

Terms & Conditions : 1) NSDL shall be solely responsible for the execution of this Contest. 2) This Contest is open to Indian Citizens only. 3) NSDL employees are not allowed to participate in this contest. 4) All personal details submitted must be accurate and complete and are subject to proof upon request by NSDL.
5) NSDL reserves the right to discontinue the contest at any given point of time without prior intimation. 6) All winners shall be selected by NSDL and the decision taken will be final.

Printed & Published by **Mr. Prashant Vagal** (Editor) on behalf of National Securities Depository Limited Investor Protection Fund Trust.